मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 27, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में छात्रों को गणवेश हेतु दिये गये चेकों का भुगतान न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचरौद नगर में सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. सभापति तालिका की घोषणा.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य, सिवनी जिले के –

(क) ग्राम खिरखिरी से ग्राम बेलखेड़ी के बीच गधेड़ी नाला पर पुलिया निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम कलार बांकी में सरगापुर जलाशय का निर्माण कराये जाने,
(ग) देवरीकलां, धौरिया एवं लखनादौन के बीच बिजना नदी पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम घुघसा एवं अमरवाड़ा के बीच शक्कर नदी पर बांध निर्माण कराये जाने,
(ङ) ग्राम तिघरा के हाई स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने,
(च) रामगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सिंचाई हेतु बांध निर्माण कराये जाने, तथा
(छ) ग्राम पटरा में भाटीवाड़ा के बीच रेंगा नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(2) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले के –

(क) जिला चिकित्सालय में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कराये जाने,
(ख) वार्ड क्र. 33 के टी.आई.टी रोड़ पर ट्यूबवेल खनन कराये जाने,
(ग) जिला चिकित्सालय के आई.सी.यू. में अत्याधुनिक मशीनें लगाये जाने,
(घ) जिला चिकित्सालय में नेत्र विभाग का वार्ड निर्माण कराये जाने,
(ङ) शहर हेतु 2 एम्बुलेंस 108 की व्यवस्था कराये जाने, तथा
(च) जिला चिकित्सालय में 5 मेडीसिन डॉक्टरों की नियुक्ति कराये जाने,

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम सोनखेड़ा कला में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर नगर के चार शहर के नाके से हजीरा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1)श्री जयंत कुमार मलैया, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 20 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 24 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,31,33,37,39,40,41,44,45,47,51,52, 55,56,63,64,66,72,73,74,75,76 तथा 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार नौ सौ बत्तीस करोड़, सतासी लाख, बारह हजार, तीन सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 (क्रमांक 22 सन् 2012) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(2)श्री जयंत कुमार मलैया, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 19 सन् 2012) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(3) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 20 सन् 2012)) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 21 सन् 2012)) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012)) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(6) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 24 सन् 2012) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

8. संकल्प

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा का पुनर्ग्रहण -

"सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार खेती में लगने वाले रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापिस लेने हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करे, ताकि कृषकों को राहत मिल सके.".

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में इस वर्ष गेहूं खरीदी, परिवहन, रख-रखाव एवं भण्डारण में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, पुरुषोत्तम दांगी, भगवान सिंह राजपूत, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, रामलखन सिंह, एवं श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 17 जुलाई, 2012

*** अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**